

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16-05-2019

जनपद पुलिस के परिवार परामर्श केन्द्र में अधिकारियों/काउन्सलरो ने 04 पक्षों में

कराया समझौता:-

आज दिनांक 16-05-2019 को पुलिस लाइन में महिला परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया। परामर्श केन्द्र में विवादित परिवारों की काउंसिलिंग करने के लिये महिला परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कल्पना त्यागी, की उपस्थिति में काउन्सलर श्रीमती अनुपमा महाजन, श्रीमती सुरभि सिंह, श्रीमती फरहा फैज, श्री प्रेम सिंह छोकर, श्री कै0एल0 डाबरा, श्री शाहिद अहमद व श्री प्रीतपाल सिंह द्वारा काउंसिलिंग की गई।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 19 पक्षों को नोटिस देकर काउंसिलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें लड़का व लड़की पक्ष के 05 लोग उपस्थित हुये। जिनकी काउंसिलिंग करने के बाद काउन्सलर द्वारा 04 पक्षों में समझौता कराया गया। जो परिवार काउन्सलर के द्वारा मिलाये गये उनके नाम निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	श्रीमति अखिलेश पत्नी मोन्टी पुत्री रमेश निवासी गांव कुआंखडा थाना नानौता, सहारनपुर।	श्री मोन्टी कुमार पुत्र राज कुमार निवासी पेपर मिल रोड निकट रामू गेट थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2	श्रीमति सुमन पत्नी सुधीर पुत्री स्व० चन्द्रभान निवासी 147/53 भारतीय कालोनी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।	श्री सुधीर पुत्र जयगोपाल निवासी मौ० अर्पित बिहार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3	श्रीमति खुशनुमा पत्नी कय्यूम पुत्री इदरीश निवासी गां० संसारपुर खिडका भटकवा थाना बेहट, सहारनपुर।	श्री कय्यूम पुत्र आबिद निवासी गांव फिरोजाबाद परगना सुल्तानपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर।
4	श्रीमति पूजा पत्नी वैभव वर्मा पुत्री दीपक वर्मा निवासी प्रतापनगर, सहारनपुर।	श्री वैभव वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा निवासी सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।



प्रेस नोट दिनांक 16-05-2019

थाना बेहट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान गौमांस की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को 150 किलोग्राम गौमांस, एक कुल्हाडी, 01 रस्सी, 02 छुरी व एक अवैध तमंचा .315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा गौ तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16-05-2019 को सुबह समय करीब 04.30 बजे थाना बेहट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान ग्राम रीढी मोहीददीनपुर से 01 अभियुक्त 1-नईम पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर को 150 किलोग्राम गौमांस, गौवंश के अवशेष ,एक कुल्हाडी, 01 रस्सी ,एक लकडी का गुटका, एक सूजा, 02 छुरी व 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के 06 अन्य साथी 1-मोनू उर्फ मोहतसीम पुत्र हाजी नसीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर 2-वसीम पुत्र हाजी नसीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर 3-प्रवेज पुत्र नसीर निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर 4-अहसान पुत्र ईनाम निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर 5-कलीम पुत्र नसीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर 6-मोहसीन पुत्र तासीन निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट, सहारनपुर अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 154/19 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम, मु0अ0सं0 155/19 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 156/19 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-नईम पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-मोनू उर्फ मोहतसीम पुत्र हाजी नसीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

2-वसीम पुत्र हाजी नसीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

3-प्रवेज पुत्र नसीर निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

4-अहसान पुत्र ईनाम निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

5-कलीम पुत्र नसीम कुरैशी निवासी ग्राम रीढी मोहीददीनपुर थाना बेहट, सहारनपुर।

6-मोहसीन पुत्र तासीन निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-150 किलोग्राम व अवशेष।

2-एक अद्द कुल्हाडी।

3-एक रस्सी।

4-एक लकडी का गुटका।

5-एक सूजा।

6-02 अद्द छुरी।

7-01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण:-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री के0पी0 सिंह थाना बेहट, सहारनपुर।

2-उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर।

3-उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना बेहट, सहारनपुर।

4-उ0नि0 श्री सुनील शर्मा थाना बेहट, सहारनपुर।

5-का0 303 बिट्टू कुमार थाना बेहट, सहारनपुर।

6-का0 849 शैलेन्द्र कुमार थाना बेहट, सहारनपुर।



प्रेस नोट दिनांक 16-05-2019

थाना बेहट पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने टाटा पिकप गाड़ी से तस्करी कर ले जाई जा रही लगभग 08 कुन्तल खैर की लकड़ी को किया बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 15-05-2019 को थाना बेहट पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नियामतपुर कबीरपुर रोड़ से टाटा पिकप एक्सईएनओएन नं0 यूके 07 सीए-9839 में लदी लगभग 08 कुन्तल खैर की लकड़ी को बरामद किया गया है, जबकि पिकप टाटा गाड़ी में मौजूद अभि0 1-मुकर्रम पुत्र पीरु निवासी कोठरी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर 2-रिजवान पुत्र पीरु निवासी कोठरी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर व 04 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। टाटा पिकप गाड़ी व खैर की लकड़ी को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। पूर्ण घटनाक्रम के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 153/19 धारा 379/411/427 भादवि व धारा 26/41/42/52 भारतीय वन अधिनियम 1927 पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री कुंवरपाल सिंह द्वारा की जा रही है।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1- मुकर्रम पुत्र पीरु निवासी कोठरी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 2- रिजवान पुत्र पीरु निवासी कोठरी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 3- अन्य 04 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- टाटा पिकप एक्सईएनओएन नं0 यूके 07 सीए-9839।
- 2- लगभग 08 कुन्तल खैर की लकड़ी।

पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-श्री कृष्णपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बेहट, सहारनपुर।
- 2-व0उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना बेहट, सहारनपुर।
- 3-श्री राम नारायण किमौठी, क्षेत्रीय वन अधिकारी शाकुम्भरी।
- 4-श्री पूर्णानन्द कुकरैती, उपक्षेत्रीय वन अधिकारी शाकुम्भरी।
- 5-श्री बाबूराम, वन रक्षक, सहन्सरा बीट।
- 6-का0 303 बिट्टू कुमार थाना बेहट, सहारनपुर।

